न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 18 / 2024 निर्णय दिनांकः 18.07.2024

ऑनलाईन नम्बर 2024 / 64

मन्दिर श्री पालाजी, पूनरासर शाश्वत नाबलिग जरिये महन्त (पुजारी) प्रेमनाथ पुत्र पूर्णनाथ जाति सिद्ध निवासी पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. रेवन्तनाथ पुत्र नानूनाथ जाति सिद्ध निवासी पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार,, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी निम्नानुसार निवेदन करता है कि प्रार्थी ने उपरोक्त अनवानी दावा न्यायालय श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी मन्दिर श्रीपालाजी, पूनरासर के नाम रोही पूनरासर में खसरा नम्बर 614 तादादी 20.0600 हैक्टेयर खातेदारी जमीन है। मन्दिर श्री पालाजी महाराज का महन्त (पुजारी) प्रेमनाथ पुत्र पूर्णनाथ जाति सिद्ध निवासी पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ है, मूर्ति शाश्वत नाबलिग होती है, इसलिये जरिये महन्त (पुजारी) यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी मन्दिर की सेवा चाकरी, मन्दिर सम्पति की देखभाल श्री पालाजी महाराज की मूर्ति की तरफ से महन्त (पुजारी) प्रेमनाथ पुत्र पूर्णनाथ जाति सिद्ध निवासी पूनरासर ही करता है। प्रार्थी मन्दिर के पास खसरा नम्बर 614 रोही पूनरासर के अलावा रोही पूनरासर में और भी कई खसरान की जमीन है। खसरा नम्बर 614 तादादी 20.0600 हैक्टेयर रोही पूनारासर की देखभाल, सार—सम्भाल मूर्ति श्रीपालाजी की तरफ से महन्त (पुजारी) प्रेमनाथ ही देखभाल करता है । अप्रार्थी संख्या 1 बहुत ही चालाक शातिर व मुकदमा बाज, झगड़ालू प्रवृति का व्यक्ति है । जिसने मन्दिर श्रीपालाजी की खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 614 पर कब्जा करने की नियत से इस खेत में घूसकर ट्यूबवैल खोदने के लिये मशीन लगा दी है, अप्रार्थी की नियत प्रार्थी की खातेदारी जमीन पर अवैध कब्जा करके मन्दिर की जमीन [illegible] मूर्ति श्री पालाजी महाराज की तरफ से खसरा नम्बर 614 में ट्यूबवैल खु[illegible] लिये ना तो बिजली विभाग में फाईल जमा करवाई गई है, ना ही खसरा नम्बर 614 [illegible] खुदवाने की कोई योजना ही है । अप्रार्थी संख्या 1 ने बदनियति [illegible] हड़पने की नियत से मन्दिर की खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 614 में ट्यूबवैल खोद[illegible] के लिये मशीन ल[illegible] है, जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:32:49 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अप्रार्थी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के कृत्य की शिकायत अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर की, परन्तु अप्रार्थी संख्या 2, अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहा है। मन्दिर मूर्ति श्री पालाजी, पूनरासर के महन्त (पुजारी) की हैसियत से अप्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 614 तादादी 20.0600 हैक्टेयर रोही पूनरासर में ट्यूबवैल खोदने वाली मशीन लगाने से मना किया और अप्रार्थी को मन्दिर की जमीन में प्रवेश करने व दखल देने से मना किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने मन्दिर की जमीन पर कब्जा करने व जबरदस्ती मन्दिर की खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 614 में बलपूर्वक ट्यूबवैल खोदकर कब्जा पुख्ता करने की ऐलानियां तौर पर धमकी दी । मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है तथा मूर्ति का पुजारी प्रेमनाथ सीधा–सादा शांतिप्रिय कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। प्रार्थी, अप्रार्थी का बलपूर्वक मुकाबला नहीं कर सकता। प्रार्थी के पास अपने अधिकारो की रक्षार्थ अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अप्रार्थी ने दिनांक 23.01.2024 को वादगत खेत खसरा नम्बर 614 तादादी 20.0600 हैक्टेयर रोही पूनरासर पर कब्जा करने की ऐलानियां धमकी दी है, इसलिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खेत की खातेदारी मन्दिर श्री पालाजी के नाम होने से तथा प्रेमनाथ का मन्दिर मूर्ति का महन्त (पुजारी) होने से व वादगत खसरा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा, उपयोग–उपभोग चला आने से प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है व सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है । अप्रार्थी ने वादगत खसरा भूमि पर नाजायज रूप से ट्यूबवैल खुदाने व वादगत खसरा भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है, अप्रार्थी अगर अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर श्रीमान्जी से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वोह वादगत खेत खसरा नम्बर 614 तादादी 20.0600 हैक्टेयर रोही पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में जबरदस्ती प्रवेश ना करे, ट्यूबवैल ना खुदवाये तथा मन्दिर की खातेदारी जमीन में किसी प्रकार की दखल ना देवे, मन्दिर की जमीन को काश्त ना करे, मन्दिर मूर्ति के कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग खातेदारी में दखल ना देवे तथा ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य ना करे, जो प्रार्थी के हितों के विपरित हो ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये है। स्टेट की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 614 तादादी 20.06 हैक्टेयर रोही मौजा पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की खातेदारी मंदिर श्री पालाजी के नाम दर्ज होना स्वीकार हैं, वास्तविकता तो यह है कि मंदिर श्री पालाजी का मंहत श्री रतनदासजी थे, रतनदास जी के पुत्र पूनमदासजी के दो पुत्र ज्ञानदास व मानदास हुये। अप्रार्थी मंहत स्वर्गीय मानदासजी के वंशज है, प्रार्थी ज्ञानदास का वंशज हैं। प्रार्थी मंदिर श्री पालाजी का अकेला पुजारी नहीं है, मंदिर श्री पालाजी का मंहत है, जो वारिसानों की बारी के अनुसार मंदिर श्री पालाजी की पूजा–पाठ करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को रंगत देने के उद्देश्य से गलत तथ्यों का वर्णन किया हैं। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:52:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

साफ हाथो से न्यायालय में नही आया हैं, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। मंदिर श्री पालाजी महाराज की पूजा–पाठ मंहत श्री रतनदासजी के सभी वंशज करते है तथा सेवा–चाकरी व मंदिर की सम्पतियों की देख–भाल करते हैं। प्रार्थी कतई मंदिर श्री पालाजी महाराज का अकेला पुजारी नही हैं, मंदिर श्री पालाजी की मूर्ति की तरफ से मंहत प्रतिवादी हैं। मंदिर श्री पालाजी महाराज की खातेदारी के खेत रोही ग्राम पुनरासर में 46 खसरे जिनकी कुल तादादी 416.5300 हैक्टेयर हैं। जिनमें से खसरा नम्बर 614 तादादी 20.06 हैक्टेयर भी है, उक्त खसरा की देख–भाल, सार–संभाल मंहत रेवन्तनाथ (अप्रार्थी) व मनफुलनाथ करते हैं। उक्त खसरा नम्बर 614 की 10.12 हैक्टेयर भूमि की काश्त अप्रार्थी करता हैं व शेष भूमि की काश्त मनफुलनाथ व उनके वारिसान करते हैं। प्रार्थी उक्त खसरा की ना तो कभी देख–भाल की है ना ही सारसंभाल की है तथा ना ही प्रार्थी का उक्त खसरा से संबंध अथवा सरोकार हैं। प्रार्थी खसरा नम्बर 655 तादादी 49.390 हैक्टेयर भूमि के हिस्सा पांती के अनुसार काश्त करता हैं। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 614 तादादी 20.06 हैक्टेयर की काश्त व सार–संभाल कभी भी नही की हैं। अप्रार्थी संख्या 1 कतई चतुर, चालाक, मुकदमाबाज व झगड़ालू व्यक्ति नही हैं । वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थी चतुर व चालाक व बदमाश व झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है, प्रार्थी ने रंजिशवंश उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्व गलत आधारों पर अप्रार्थी को नुकसान पहूंचाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया हैं। वास्तविकता तो यह है कि अप्रार्थी ने खसरा नम्बर 614 तादादी 20.06 हैक्टेयर में अपने कब्जा काश्त की 10.12 हैक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने व हरा–भरा करने, मंदिर की सम्पति का उत्थान करने के लिए उक्त खसरा में दिनांक 24.01.2024 को ट्यूब वैल का निर्माण करवाया तथा उक्त खसरा में ट्यूब वैल के लिए विद्युत कनेक्शन की पत्रावली जमा करवा रखी हैं तथा अप्रार्थी ने विद्युत कनेक्शन के लिए दिनांक 26.12.2023 को डिमाण्ड राशि 68,800/–रूपयें भी विद्युत विभाग में जमा करवा रखे है तथा खुदाये गये ट्यूब वैल की तरमीम की राशि भी जरिये रसीद संख्यां 22 दिनांक 26.12.2023 को जमा करवा रखी हैं । अप्रार्थी ने उक्त खसरान ट्यूब वैल निर्माण के लिए पत्र क्रमांक 1996 दिनांक 22.12.2023 को तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा है तथा ग्राम पंचायत पुनरासर से भी उक्त खसरा में काश्त के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करवाकर नियमानुसार ट्यूब वैल निर्माण करवाया हैं । प्रार्थी ने आपसी द्वेषता व रंजिशवंश उक्त दावा गलत आधारों पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया हैं । अप्रार्थी उक्त खसरा की भूमि पर कतई अवैध कब्जा नही हैं, प्रार्थी ने मंदिर श्री पालाजी की भूमि पर मंहत रेवन्तनाथजी (अप्रार्थी) द्वारा करवाये जा रहे विकास कार्यो को रूकवाने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत हैं। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है, बल्कि खारिज किये जाने योग्य हैं । प्रार्थी ने ना तो अप्रार्थी को ट्यूब वैल खोदने वाली मशीन लगाने से मना किया ना ही किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई, प्रार्थी अप्रार्थी से मिला ही नही ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं । अप्रार्थी खसरा नम्बर 614 की देखभाल अपने पिता मंहत नानूनाथजी के जीवनकाल से करता चला आ रहा है उक्त खसरे में ही ढ़ाणी बनाकर रहता है तथा वहीं पर मंदिर श्री पालाजी की पूजा–पाठ करता हैं। प्रार्थी बदमाश प्रवृति का मुकदमाबाज व्यक्ति है, जो येन–केन प्रकारेण मंहत श्री रेवन्तनाथ (अप्रार्थी) जो शांतिप्रिय

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:52:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

व्यक्ति है के द्वारा करवाये जा रहे विकास कार्यो को बाधित करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी दिनांक 23.01.2024 को अप्रार्थी से मिला ही नही ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। इसलिए प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने में कानूनन सक्षम नही हैं। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावें। प्रार्थी का वादगत खसरान की भूमि से ना तो संबंध अथवा सरोकार है ना ही कोई लेना देना हैं। अप्रार्थी खसरा नम्बर 614 की सारसंभाल, देखभाल अपने पिता मंहत नानूनाथजी के जीवनकाल से करता चला आ रहा हैं। उक्त खसरे में ही ढाणी बनाकर रहता है तथा वहीं पर मंदिर श्री पालाजी की पूजा–पाठ करता हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन का सिद्वान्त व अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी के पक्ष में बनता हैं। मंदिर श्री पालाजी की खातेदारी के खेत रोही गांव पुनरासर में स्थित है, जिसमें 46 खसरे कुल तादादी 416.53 हैक्टेयर भूमि हैं। उक्त खसरान की भूमि की देख–भाल, सार–संभाल मंहत श्री स्व. रतनदास करते थे, अप्रार्थी स्व. रतनदास की वंशज हैं। वर्तमान में मंदिर श्री पालाजी की सेवा चाकरी व पूजा–पाठ अप्रार्थी करता है तथा पालाजी महाराज की भूमियों व सम्पति की देखभाल अप्रार्थी ही करता चला आ रहा हैं। खसरा नम्बर 614 तादादी 20.06 हैक्टेयर भूमि की 10.12 हैक्टेयर भूमि पर काश्त अप्रार्थी की चली आ रही हैं । अप्रार्थी खसरा नम्बर 614 तादादी 20.06 हैक्टेयर की भूमि में से 10.12 हैक्टेयर भूमि में ट्यूब वैल निर्माण करवाया है तथा विद्युत कनेक्शन की डिमाण्ड राशि जमा करवा रखी है । अप्रार्थी ने उक्त खसरा में ट्यूब वैल तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ़ से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर करवाया हैं । प्रार्थी ने रंजिश वंश उक्त प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत कर मंदिर श्री पालाजी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अप्रार्थी के ऊपर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी का उक्त भूमि से किसी प्रकार का संबंध अथवा सरोकार नही है। प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही हैं। प्रार्थी वादगत खसरे का खातेदार नही है, अप्रार्थी उक्त मंदिर श्री पालाजी महाराज का मंहत है । अप्रार्थी द्वारा मंदिर श्री पालाजी की सम्पति की देख–भाल व सार–संभाल सम्पति की सुरक्षा व भूमि को उपजाउ बनाने व मंदिर के उत्थान के लिए ट्यूब वैल का निर्माण करवाया हैं। प्रार्थी ने ट्यूब वैल निर्माण कार्य को बाधित करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत किया है, फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं । मंदिर श्री पालाजी की कृषि भूमि में खसरा नम्बर 834 में शिवप्रतानाथ, खसरा नम्बर 647 में गोरधननाथ लिछमणनाथ व खसरा नम्बर 646 में केसरनाथ लिछमणनाथ, खसरा नम्बर 648 में डूंगरनाथ लिछमणनाथ के द्वारा पूर्व में ट्यूब वैल निर्माण करवाकर विद्युत कनेक्शन ले रखे हैं। वास्ते मुलाय[illegible] बिल की प्रतियां व दस्तावेजो की प्रतियां जबाबदावा के साथ प्रस्तुत की जा रही हैं। [illegible]र्थी साफ हाथो से न्यायालय में नही आया है, फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थ[illegible] योग्य हैं।

3

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:52:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 अपने पिता नानूनाथजी का महन्त होने व खसरा नम्बर 614 की सार–सम्भाल देखभाल अपने पिता के जीवनकाल के समय से करने का कथन बिल्कुल गलत दर्ज करवाया। अप्रार्थी मन्दिर श्री पालाजी महाराज का महन्त नहीं है, ना ही खसरा नम्बर 614 की मन्दिर मूर्ति की तरफ से अप्रार्थी देखभाल सार–सम्भाल ही करता है। मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबलिग होती है। मन्दिर मूर्ति की सम्पति की देखभाल, सार–सम्भाल मन्दिर मूर्ति की तरफ से उसका महन्त ही करता है। मन्दिर श्री पालाजी महाराज का महन्त अप्रार्थी ना होकर प्रार्थी प्रेमनाथ है। मन्दिर श्री पालाजी महाराज पूनरासर के महन्त श्री भीखाणजी थे, उनके बाद धीरदास, सुल्तानादास, अहीदास, अचलदास, अहोदानदास, रतनदास, पुर्णदास, गीयानदास, हरूनाथ, सीवदाननाथ, सुल्ताननाथ, गोपालनाथ, जसूनाथ, पुरणनाथ हुये, पुरणनाथ के बाद प्रेमनाथ महन्त हुआ। वर्तमान में इस मन्दिर का महन्त प्रेमनाथ पुत्र पूर्णनाथ है । अप्रार्थी व उसका पिता कभी भी मन्दिर श्री पालाजी महाराज पूनरासर का महन्त नही रहा। अप्रार्थी ने तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष गलत तथ्य अंकित कर अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया, प्रार्थी को जैसे ही अप्रार्थी के कृत्य की जानकारी हुई। प्रार्थी ने तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया तो तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ने पटवारी हल्का से जांच करवाई तो पटवारी हल्का ने गांव में पूछताछ कर जांच में पाया कि मन्दिर श्री पालाजी महाराज पूनरासर का महन्त प्रेमनाथ पुत्र पूर्णनाथ सिद्ध निवासी पूनरासर है। पटवारी रिपोर्ट की तस्दीक तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़, सरपंच पूनरासर व ग्रामवासियो ने भी की है। अप्रार्थी ने गलत तथ्यो के आधार पर तहसीलदार से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। गलत तथ्यो पर बिजली विभाग में फाईल जमा करवा दी, जबकि अप्रार्थी मन्दिर श्री पालाजी महाराज का महन्त नहीं है । अप्रार्थी ने अपने लाभ के लिये व मूर्ति मन्दिर को सआशय हानि पहुंचाने की नियत से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार किये है, जिसके लिये अप्रार्थी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही अलग से की जा रही है। अप्रार्थी पालाजी महाराज का महन्त नहीं है। अप्रार्थी द्वारा मन्दिर मूर्ति की सम्पति की देखभाल करने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही अप्रार्थी को ट्यूबवैल निर्माण का अधिकार ही है। वादगत खसरा बाबत अप्रार्थी को कोई अधिकार नही है, प्रार्थी मन्दिर मूर्ति पालाजी महाराज का महन्त प्रेमनाथ पुत्र पूर्णनाथ सिद्ध निवासी पूनरासर है, जो मन्दिर मूर्ति की सम्पति की देखभाल मन्दिर मूर्ति की तरफ से मन्दिर मूर्ति के लाभार्थ करता है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तादावा फैसला राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखे जाने का निवेदन किया गया। अपनी बहस के समर्थन में दस्तावेज सूची एवं न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1994 पृष्ठ संख्या 106 से 107 पेश की गई।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबलिग होती है। मन्दिर मूर्ति की सम्पति की देखभाल, सार–सम्भाल मन्दिर मूर्ति की तरफ से उसका महन्त ही करता है। जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा साक्ष्य सबूत भी पेश किये गये है। लिहाजा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है, हस्तगत प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally Signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:52:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रश्नगत भूमि मन्दिर श्रीपालाजी के नाम की खातदेारी भूमि है, अस्थायी निषेधाज्ञा का उद्देश्य मूलवाद की विषय वस्तु को सुरक्षित बनाए रखना है। प्रतिवादीगण स्थान विशेष का उल्लेख न करते हुए किसी भी प्रकार से अन्तरण नहीं करें। तादावा फैसला राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाऐं रखें।

आदेश आज दिनांक 18.7.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.07.29 16:52:49 IST
Reason: SelfAttested